निगरानी प्र. कमांक /2014
प्रस्तुति दिनांक 27 अगस्त 2014

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर, के समक्ष

R 3220-PBR-14

1— रामू उर्फ रामलाल पिता राजाराम मृत तर्फे वारिस:—

अ— श्रीमती सीताबाई बेवा रामू उर्फ रामलाल मुकाती,
आयु करीब 64 वर्ष, धंधा—गृहकार्य,
निवासी खाती मोहल्ला, ग्राम मुसाखेड़ी, इन्दौर (म.प्र.)
हाल मुकाम ग्राम पानोड तहसील व
जिला इन्दौर (म.प्र.)

श्री ओमप्रकाश आर्य
प्रार्थी/अभिभाषक द्वारा दिनांक 27/8/14
को प्रस्तुत

ब— मुकेश पिता रामू उर्फ रामलाल मुकाती,
आयु करीब 44 वर्ष, धंधा—खेती,
निवासी सदर

547/27-08-2014

स— रामप्रसाद पिता रामू उर्फ रामलाल मुकाती,
आयु करीब 42 वर्ष, धंधा—खेती,
निवासी सदर

2— लक्ष्मीनारायण पिता राजाराम मुकाती,
आयु करीब 66 वर्ष, धंधा—खेती,
निवासी सदर

3— शंकरलाल पिता राजाराम मुकाती,
आयु करीब 60 वर्ष, धंधा—खेती,
निवासी सदर

4— गोविंद पिता राजाराम मुकाती,
आयु करीब 58 वर्ष, धंधा—खेती,
निवासी सदर —— प्रार्थीगण

विरूद्ध

1— मध्यप्रदेश द्वारा :—
नायब तहसीलदार, इन्दौर
कार्यालय, कलेक्टोरेट कार्यालय,
मोती तबेला, इन्दौर (म.प्र.)

2— नाथूजी पिता काशीराम खाती,
निवासी ग्राम कदवाली बुजुर्ग, तहसील सांवेर
जिला इन्दौर (म.प्र.) —— प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अर्ज :— अन्तर्गत धारा 50 भू—राजस्व संहिता 1959

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-3270–पीबीआर / 14 जिला इन्दौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14–5–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 25.6.2014 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर मौरूषी कृषक के आधार पर नामांतरण चाहा गया है । संहिता की धारा 110 के अंतर्गत बने नियमों में संशोधन के फलस्वरूप नवीन नियमों में केवल हक के आधार पर नामांतरण किये जाने का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त नामांतरण नियम 32 के अंतर्गत भी केवल हक के आधार पर ही नामांतरण किये जाने का प्रावधान है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा मोरूषी कृषक के आधार पर किये नामांतरण को कलेक्टर द्वारा स्वप्रेरणा से निगरानी में लेकर निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः कलेक्टर की आदेश पुष्टि कर निगरानी निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । फलस्वरूप निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	